# शोध विषय

## "उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ की दलित स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन"

### शोध परिचय -

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ की दलित स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन दलित स्त्रियों के वैचारिकी की पृष्ठभूमि बहुत ही संघर्ष मेहनत एवं वीरतापूर्ण रही है | इसका जीता जगता उदाहरण लखनऊ की  दलित स्त्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं | जिसके नाम से लखनऊ के गोमती नगर में दलित महास्त्रियों की और महापुरुषों का बनाये गये व्यक्तियों मूर्तियों का ऐतिहासिक संघर्ष को देखने  से पता चलता है जिनमे सवित्रिबाई फुले, रमाबाई, उदापासी, झलकारी बाई, महात्मा बुद्ध गुरुनानक जी, संतशिरोमणि गुरु रैदास जी, संत कबीर दास जी, नारायण गुरु जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, रामास्वामी नायकर पेरियार, डॉ.भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने दलित स्त्रियों और पुरुषों के लिए और समाज में शांति और समतामूलक न्याय के लिए दमनकरी शोषण का पुरजोर प्रतिरोध किया हैं सभी महापुरुषों ने अपने ढंग से शिक्षा, ज्ञान, की वाणी का सभी मनुष्यों को संदेश दिया हैं, और दलित शब्द आज इक्कीसवीं शताब्दी में राजनीतिक रूप से बहुत चर्चा आया है। जो भारत में जाति व्यवस्था की बनाई हुई चातुष्वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है।

चार वर्णों ( ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) पर आधारित समाज की संरचना को चातुष्वर्ण विधान या वर्ण व्यवस्था कहते हैं। दलित समाज को उन  चार वर्णों में सबसे निचले स्थान पर शूद्र शब्द से संबोधित किया है। और दलित अछूत को कहा जाता है क्यों की अछूत जातीय तीनों के सम्पर्क में रहा पर सिर्फ मजदूरी और सामंतवादी जातियों के घरों में सफाई,पूजीवादी जातियाँ के खेतों

में निराई, गुड़ाई, हल जोतने का काम करते थे, जितने भी घर गृहस्थी का कार्य है उन सभी कामों को जबर्दस्ती कराये जाते थे| लखनऊ अमौसी नगरनिगम के दलित महिला मौखिक इतिहास से, दलित समाज के साथ आजादी से पहले दलित स्त्री के साथ शोषण ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा किया जाता था, और संविधान भारत में लिखित होने से पहले दलित स्त्री और पुरुष को अपने सम्मान को बचाने में कोई कानून व्यवस्था नहीं था जिसके द्वारा दलित समाज के स्वाभिमान को बचाये जा सकते थे। और यहाँ तक की आज भी दलित समाज के लोग मैला ढ़ोने का काम करते है, डॉ.कौशल पवार एक दलित स्त्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय की अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अध्यापन का कार्य करती है जिन्होंने एक दलित दस्तक के संपादक अशोक दास द्वारा एक साक्षात्कार में कहा है की दलित समाज का व्यक्ति आज भी बहुत ही दमन, दलित समाज की स्त्री हो या पुरुष सहता है और दलित समाज को आज कुछ उन्नति पदों पर आसीन है वह आरक्षण की वजह से मुट्ठी भर लोग सफल हैं|

आज दलित स्त्रियों को आरक्षण नहीं प्रतिनिधित्व चाहिए जिन्होंने यह बात दलित स्त्री और एक अम्बेडकरवादी विचार से कहती है, पायलट सर्वेक्षण के समय लखनऊ की शोधार्थी आकांक्षी विद्यार्थी ने कहा दलित स्त्रियाँ उच्च शिक्षा में अधिक संख्या में नहीं है और इनकी भागीदारी होगी तब जाकर दलित समाज का  सम्मान बढ़ेगा, इसी प्रकार परास्नातक विद्यार्थी पंचरत्न ने कहा शिक्षण संस्थानों में दलित स्त्रियों के उपनाम से किसी भी ऑफिस के काम को जातिगत आधर के द्वारा समस्या होती हैं| इस तरह दलित स्त्रियों के दलित, जाति,और विचारों के कारण समाज में एक अलग पहचान होता है, इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने अश्पृश्य समाज को सामाजिक गुलामी से मुक्त करने के लिए, समाज सुधारने के लिए अनेक सामाजिक कुरीतियों की जड़ को साक्षात करते हुए सत्य शोधक समाज की स्थापना की जो ब्राह्मणवाद का भेद खोला जो मुख्य रूप से भारत में सनातनी ब्राह्मण द्वारा मनुस्मृति धर्म ग्रंथो से मानव शूद्र अश्पृश्य जातियों को ब्राह्मणवादियों  द्वारा जाति उच्च-नीच और गैरबराबरी तथा कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। जिन्होंने पुणे में सर्वप्रथम बालिका

विद्यालय की स्थापना सन 1848 में की थी और सावित्री बाई फुले ने भारत की प्रथम अध्यापिका का गौरव प्राप्त किया। आधुनिक भारत की नवजागरण और महान परिवर्तनवादी महिला के रूप में जाना जाता है जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में छुआछूत, बाल विवाह, सतीप्रथा का पुरजोर विरोध किया। जो समाज में महिलाओं के लिए और ब्राह्मणवादियों के लिए नए तरह से सोचने की मानवतावादी चेतना को जगाया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले का जीवन समाज सेवा में लगा दिया और सम्पूर्ण जीवन प्रतिरोध की शिक्षा से समाज में परिवर्तन चुनौती से भरा रहा।

संत सिरोमणि रैदास के अनुसार दलित समाज को ( क्रांतिपथ का पथिक-ले.पृथ्वीसिंह आजाद पृष्ठ 290 ) सामाजिक व्यवस्था को ब्राह्मण वर्ग मनमाने तरीके से बनाता रहा है। इसका कारण यह रहा कि प्रशासन की दण्ड संहिता उस पर लागू नहीं होती थी। वेद, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति मनमाने तरीके से ब्राह्मण राजाओं के संरक्षण में लिखे गये। उनके अंधविश्वासों को मूलनिवासियों ने मानने से इन्कार कर दिया था। जैसे गाय को काट करके न खाना, सती के नाम पर अपनी बहू बेटी को न जलाना। बेटी पति के मरने पर पत्नी के सिर के बाल न मुंडवाना आदि। इसलिए ब्राह्मणों ने उन मूल निवासियों से जीने का अधिकार ही छीन लिया, क्योंकि राजसता उनके पास थी। उनके पढ़ने लिखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यज्ञोपवीत का एक ऐसा धिनौना अविष्कार किया कि उसने समाज को दो भागों में बाँट दिया। राज कर्मचारी यज्ञोपवीत देखकर उसके दण्ड का निर्धारण करते थे। प्रारम्भ में ब्राहमण यहां के निवासियों को जजमान कहकर पुकारते थे, क्योंकि आर्य कन्या सती पार्वती का आदिवासी काबीले के नेता शंकर से विवाह हुआ था इसलिए सभी ब्राह्मण यहाँ के आदिवासियों को जजमान कहकर पुकारते थे ब्राह्मणों ने अपने वेदों, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथो तथा मूर्तियों एवं राजसत्ता के माध्यम से समाज में अन्धविश्वास की जो गंदगी फेंकी या फ़ेंक रहे हैं, उस गंदगी को समय-समय पर समाज सुधारकों ने साफ करने का प्रयत्न किया। उसमें मुख्य बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर के नाम प्रमुख हैं। इन सभी महान विभूतियों के संघर्षों ने इक्कीसवीं शताब्दी में

कांशीराम और मायावती को जन्म दिया जो आज राजनीतिक सत्ता के द्वारा दलित समाज के उत्थान में बहनजी उत्तरप्रदेश में दलित समाज को एक नयी दिशा और दशा दी।

भारतीय राजनीति में दलित नेता का आज वर्तमान समय में वे राजनीतिक परम्पराओं या विचाधारात्मक सिद्धांतों की परवाह बिल्कुल नहीं करती इस विशेषता के कारण मायावती अपने उन समर्पित राजनेताओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है जो दलित स्त्रियों के और उत्तरप्रदेश के शासन सत्ता में कानूनी सक्रियता पूर्ण रूप से संवैधानिक उपचारों के माध्यम से सम्पूर्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर चलकर एक उच्च पद पर दलित स्त्री यह साबित कर दिया कि दलित बुद्धिजीवी विचारक देश के जन-जन के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। कांशीराम और मायावती राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे के आदर्श पूरक थे। दृढ़ संकल्प के साथ देश भर में घूम-घूम कर, अकेले व्यक्तियों और लोगों के छोटे-छोटे समूहों से मिलकर वे अपने आन्दोलन में उन लोगों को शामिल करते थे जिन्होंने आधुनिक वैश्विक में पहली दलित स्त्री है जो भारत के सबसे बढ़े राज्य उत्तर प्रदेश को राजनीति सत्ता में आकर अपना लोहा मनवाया जो भारत के सबसे शसक्त संविधान को पालन करने वाली दलित स्त्री हैं। मायावती के पास सीधे जनता को सम्बोधित करने का हुनर था, भारत के लोगों ने खास कर मायावती को आयरन लेडी और बहन जी के नाम से जाना जाता है जो एक दलित स्त्री है खासकर उत्तरप्रदेश के दलित समाज ने तो उन्हें अपनी बहनजी के रूप में स्वीकार कर लिया है। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए समाज में बहुजन नायक के रूप में जाने जाते है जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन दलितों के विकाश में लगा दिया |

कांशीराम हमेशा बड़े स्वप्न देखते थे और देश भर में आन्दोलन फैलाने की तरकीबों के बारे में लगातार सोचते थे। बसपा को एक राष्ट्रीय दल बनाने के मोह के कारण उन्होंने आग्रह किया कि अपने सम्पूर्ण भारतीय कोष में महत्वपूर्ण मत जोड़ने के लिए पार्टी को देश के हर कोने में चुनाव लड़ना चाहिए ताकि चुनाव आयोग उसे आवश्यक मान्यता दे सके। उनका दिमाग सामग्री का ऐसा खाता था जिसमें तरह-तरह के दलों के कई दशकों के चुनावी प्रदर्शन के आंकड़े दर्ज थे और किसी भी बहस के

समय अपनी बात पुष्ट करने के लिए वह इस सामग्री को पेश कर देते थे। सीधी-सीधी व्याख्या या एकतरफा दृष्टिकोण से सन्तुष्ट न होते हुए, कांशीराम तब तक असंतुष्ट रहते थे जब तक किसी भी समस्या या चेतावनी का हल निकालने के लिए हर तरह के समाधान का प्रयोग नहीं कर लेते थे।

दूसरी ओर मायावती एक खास निशाने पर साधने के लिए बनाई गयी मिसाइल सरीखी थी। उसका काम था देश के सबसे बड़े राज्य के लिए दलितों का वोट इकट्ठा करना और यह काम वे अपने चुनाव क्षेत्र में अकेली ही कर लेती थी। चाहे शुरुआत के दिनों में एक राजनैतिक नौसिखिये की तरह एक साइकिल पर सवार हो कर या आज उन्हें विदेशी हेलिकॉप्टर में इधर-उधर ले जाया जा रहा हो, मायावती ने हमेशा अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में लगायी और अपने आप को कभी मूल लक्ष्य से हटने नहीं दिया। वह सीधी दिशा में सोचते हुए एक मसले से दूसरे तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाती हैं।

जिस एकचित जोश के साथ मायावती ने उत्तरप्रदेश में जीत हासिल करने की हिम्मत तोड़ने वाली चुनौती को अपनाया था कांशीराम को उनकी यह बात अनुकूल पड़ी थी। इस बात के संकेत मिले है कि मायावती ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उनके क्षेत्र में दखल न दें और उन्हें राज्य से दूर रहना पड़ा। परन्तु सच बात तो यह है कांशीराम इतने बड़े राज्य को सँभालने के बारे में घबरा रहे थे क्योंकि यहाँ उनकी जड़े नहीं थी और वे यही चाहते थे कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो ज्यादा अनुकूल हो। सच बात तो यह है कि उत्तरप्रदेश के नेतृत्व के खालीपन को भरने की नीयत से उन्होंने मायावती को चुना क्योंकि उनके द्वारा चुने गये कोई भी दलित और पिछड़ी जातियों के नेता इसके लिए ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ वर्षों बाद अपने इस चुनाव के बारे में पार्टी के ज्यादा वरिष्ठ सदस्यों की नाराजगी को याद करते हुए कांशीराम का कहना है, उनके वरिष्ठ जन बहुत बहुत नाराज हो गये... और कुमारी मायावती को मौका देने पर मुझ पर दबाव डालने लगे। यहाँ तक कि उनमें से ज्यादातर तो आन्दोलन छोड़ कर चले गये। मैं नहीं जानता कि वे सब आज कहाँ है, जबकि मायावती आन्दोलन के साथ-साथ उन्नति करती चली गयी। इस काम में उनके इतने उत्साहपूर्वक लीन हो जाने से, राज्य में न

केवल कांशीराम के आन्दोलन को बढ़ावा मिला, बल्कि उन्हें इतना ज्यादा समय मिल गया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, जहाँ भी सम्भावना थी, जिन्होंने दलित समाज के बुर्जों का निर्माण कर सके। बहन जी और साहब की इस जोड़ी ने जिस नाम से वे एक-दूसरे को पुकारते थे, अपनी-अपनी निजी ताकत और कौशल को आपस में मिला कर एक घातक सम्मिश्रण तैयार किया जिसके जरिये धीरे-धीरे एक ऐसे राजनैतिक भवन का निर्माण हुआ हो कुछ समय बाद उत्तरप्रदेश को हिला कर रख दे और पुरे देश में उद्वेलन पैदा कर दे। दोनों में कभी-कभी राजनैतिक मतभेद होते थे, लेकिन मूल रूप से कांशीराम और मायावती एक अनूठे तालमेल के साथ काम करते थे। उनके संयुक्त साहसिक कार्यों की देखने लायक सफलता पत्रकारों द्वारा उनके बीच घनिष्ठ मतभेद के बारे में बार-बार लगाये जाने वाले अनुमान को झुठलाती है। अगर लड़ाई-झगड़े से उनकी राजनैतिक साझेदारी दूषित या कमजोर होती, जैसा कि कुछ व्याख्याकारों ने सुझाया है, तो वह न तो इतनी फलदायक साबित हो पाती और न ही बसपा बार-बार चुनावी सफलता हासील कर पाती। एक युवा दलित स्कूल टीचर पर, जिसे राजनीति का जरा भी अनुभव नहीं था, कांशीराम ने इतना भरोसा करके और अपने सहयोगियों के विरोध के खिलाफ सहयोग दे कर बहुत बड़ा जुआ खेला था। उस समय हमें यह लग रहा था कि अपने राजनैतिक निर्णय के खिलाफ जा कर वे मायावती के प्रति अपनी भावनाओं के वेग में बह गये थे उनके एक पुराने सहयोगी ने ऐसा कहते हुए साथ में यह भी जोड़ा, उसने हमको गलत साबित कर दिया। अगर नतीजा कुछ और निकलता, तो एक युवा महिला के लिए अपने आन्दोलन को न्योछावर करने के कलंक का सामना उन्हें लगातार करना पड़ता। मायावती में उनकी निष्ठा की प्रत्यक्ष पुष्टि ने इस दलित मसीहा को उनकी जिंदगी के आखिर में असीम तृप्ति प्रदान की होगी। उनके इस सम्बन्ध का आखिरी प्रतिक, जो केवल इस देश के राजनैतिक इतिहास में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में अतुल्य है, लखनऊ में बहुजन समाज प्रेरणा केन्द्र के उस 102 फुट ऊँचे स्तूप की शक्ल की अन्दर की गुफा में देखने को मिलता है। वहां एक-एक दर्जन फुट ऊँचे, एकदम जीवित लगनेवाले कांशीराम और मायावती के बुत, बाबा साहेब अम्बेडकर के बुत की छत्रछाया में एक-दूसरे के निकट खड़े हैं।

कांशीराम ने हमेशा की तरह बुशर्ट और पैंट पहनी है और मायवती के बाल छोटे-छोटे कटे हैं, गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिपटा है और उन्होंने हैंडबैग पकड़ा हुआ हैं। और दीवार पर लगे गहरे नीले रावटी पत्थर में कांशीराम की आखिरी वसीयत खुदी हुई हैं। उनके शब्द है : मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियाँ गंगा या यमुना में विसर्जित न की जायें। मैं चाहता हूँ उन्हें प्रेरणा केन्द्र में रखा जायें। मैं आशा करता हूँ कि उसके माता-पिता, भाई-बहन, सभी रिश्तेदार और बसपा के सदस्य मेरी इच्छा जरुर पूरी करेंगे। यह सदा समाज की मनुवादी शैली के विरोध का प्रतिक रहेगा और बहुजन समाज को इस स्मारक के सम्मान और इसके प्रति आस्था के लिए प्रेरित करेगा। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ऐतिहासिक भाषण और जीवन दर्शन के संकलन भारत वाघमारे प्रकाशक प्रबुध्द भारत पुस्तकालय आणि प्रकाशन व्यवसाय नागपुर ( प्रकाशन तिथि: 19 सितम्बर 2013 पृष्ठ न. 114 ) जाति के निर्माण के पीछे एक विशेष उद्देश्य है जो प्रथम अन्तराष्ट्रीय "दलित अधिवेशन" मलेशिया। "जाति" का निर्माण बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया गया। इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य और स्वार्थ छिपा हुआ हैं। जब तक यह उद्देश्य अथवा स्वार्थ जिन्दा रहता है जाति का विनाश नहीं किया जा सकता। आप ब्राह्मणों अथवा सवर्ण जातियों को इस प्रकार जाति विहीन समाज की पुनर्स्थापना के लिए कन्वेंशन, सम्मेलन, विचार-गोष्टी आदि आयोजित करते हुये नहीं देखेंगे। भारत में दलित समाज का अशिक्षित होना ही सारे समस्या का कारण जो अनेक समस्या को पैदा करता है, आज भी कुछ दलित स्त्री और पुरुष उच्च शिक्षा में पहुचे है वह भी संघर्ष कर रहे है, जाति व्यवस्था के पुरानी नीतियों को आज भी दलित स्त्रियों को पुरुषो को तोड़ने के लिए दलित समाज के सुधार के लिए अनेक कार्य कर रहे है जिनके समाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो और वह भारत के संविधान में दिये गए अधिकारों द्वारा अपना विकाश कर मुख्य धरा से जुड़ जाये जो अभी दलित विचार बहुत ही बड़े स्तर पर अपने उत्थान के लिए लखनऊ में संगठन कार्य कर रहे हैं।

**शोध प्रश्न**

1 - विश्वविद्यालय में धार्मिक और समाजिक भेद-भाव क्यों होता हैं।?

2 - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दलित स्त्रियों की भागीदारी कम क्यों हैं।?

3 - उच्च शिक्षा में जाति व्यवस्था क्यों बाधक होता हैं।?

4 - शिक्षा व्यवस्था में दलित स्त्रियों का उत्पीडन क्यों होता हैं।?

**अध्ययन का उद्देश्य-**

1-दलित महिलाओं की उच्च शिक्षा का विश्लेषण।

2-उच्च शिक्षा में सामाजिक आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण।

3-उच्च शिक्षा से सम्बंधित दलित स्त्रियों की समस्याओं का अधययन करना।

4-दलित स्त्रियों की शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन।

**शोध समस्या**

दलित स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति में, उच्च शिक्षा में अनेकों समस्याएं सामाजिक,आर्थिक,धार्मिक,राजनितिक और घरेलू जाति उत्पीड़न, रंग भेद-भाव, छुआछूत, जो दलित महिलाओं की उच्च शिक्षा में बाधक होती हैं। उच्च शिक्षा से वंचित होना, परिवार का अशिक्षित होना भी हैं। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढाई न होने की वजह और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण आगे की उच्च शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की जानकारी न होना उनके पिछड़े होने और अपने मूल अधिकारों जैसे शिक्षा से पिछड़ा होना भी एक कारण हैं।

**साहित्य पुनरावलोकन:-**

भारत में सदियों से जाति व्यवस्था के कारण दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया था जो यह सब एक षड्यंत्र के तहत हिन्दू धर्म ग्रंथो में रचित विकृत ज्ञान के कारण अतार्किक परम्पराओं को

आधार मानकर छोटा बड़ा का भेदभाव छुआछुत आडम्बरों के तहत भारत में दलित समाज का शोषण होता रहा हैं। जो आज इक्कीसवीं शताब्दी में भारत के दलित समाज बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर के कारण और भारत की संवैधानिक कानूनी व्यवस्था के कारण शिक्षा रोजगार लेना शुरू किया हैं। जो दलित समाज के महिलाओं का मुददा सम्मान से जुड़ा हुआ है जो सम्पादक डॉ. डी. आर. लहरे, प्रो. एस. एल. सोनवाने, जो इस पुस्तक में महिलाओं के साक्षरता एवं शिक्षा में व्यापक परिवर्तन आया हैं। आज महिलायें अपने घर से बाहर निकल कर शिक्षा शासकीय सेवा क्षेत्र व्यापार एवं वाणिज्य राजनीति एवं समाज सेवा में पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी में महिलायें हैं। पर दलित महिलाओं को आज शिक्षण संस्थानों में कई तरह से भेदभाव झेलना पड़ता है जो उनके जाति व्यवस्था के कारण होता हैं।

यू.जी.सी. के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोराट राज्यसभा टीवी देश देशांतर के संवाद में जाति भेदभाव को बताते हुये एक दलित छात्र रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या की मुद्दे पर बात करते हुये उन्होंने कहा था शिक्षण संस्थानों में जाति, रंग, नस्ल, जेंडर,पर नागरिकों को शिक्षा देने का सुझाव दिया और यह भी बताया कि भारत के "बिहार राज्य में छात्रों के लिए अलग-अलग जाति के आधार पर छात्रावास बनाया गया हैं। और बनारस में भी कुछ इस प्रकार कायस्त छात्रावास बनाया गया है। जो उन्होंने युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कार्यों में बहुत सारे उच्च शिक्षा के लिए कार्य किया जो भारत की दलित समाज के लिए और अन्य सवर्ण जाति के छात्रों की मानसिक विचार बदलने वाली शिक्षा मानवतावादी वृध्दि करने के परामर्श को सुझाया जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक वृध्दि हो और इसी संवाद में प्रो. अपूर्वा नन्द (हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय) इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में दलित समाज की स्त्रियों का मानसिक शोषण के बारे में बताया जो कहा कि राजस्थान हरियाणा पहाड़ी इलाकों में प्राथमिक विद्यालयों में दलित स्त्रियाँ दोपहर का खाना बनाने पर पुरे गांव उस स्थान का दलित महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ भोजन का बहिष्कार कर देते हैं जो यह दर्शाता है कि हम भारत में प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा जाति भेदभाव उच्च जाति के शिक्षकों द्वारा

सिखाया जाता है। और उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का जिक्र किया कि हंटर कमीशन के सामने कहा था कि हमारे लोगों के लिए अलग स्कूल निर्माण किया जाये  नहीं तो ब्राहमण हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। जो आज उच्च शिक्षा में भारत के विश्वविद्यालयों में जाति उत्पीड़न और नौकरी से वंचित रखने का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप देखने को मिल रहा हैं । देश की राजनीतिक आजादी के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुध्द अत्याचार को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद-17 के तहत समय-समय पर नियम-उपनियम बनाये जाते रहें हैं। संविधान लागू होने के छः वर्ष बाद सर्वप्रथम 1955 में "अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम" बनाया गया था।  इस अधिनियम को 1976 में बदलकर नया नाम दे दिया गया, जिसे "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955" के नाम से जाना जाता हैं। परन्तु देखा गया कि इसके बावजूद दलितों पर होने वाले अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। वर्तमान कानून,सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता उनके विरुध्द होने वाले अत्याचारों को रोकने में अप्रयाप्त सिध्द हो रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के अत्याचार और अपमान का शिकार हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उन पर गंभीर अपराध निरंतर जारी हैं। इसी को ध्यान में रखकर 1989 में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। इस अधिनियम में छुआछुत सम्बन्धी अपराधों के विरुध्द दण्ड में वृद्धि की गई है तथा इन वर्गों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया है। फिर भी इस अधिनियम के तहत मात्र 15.71 प्रतिशत मामलों में ही दोषियों को सजा मिलती है, जबकि भारतीय दण्ड संहिता के तहत 40 प्रतिशत दोषियों को सजा मिलती है। यह इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति सवर्ण पदाधिकारियों में उदासीन रवैये को दर्शाता है। यदि सभी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने कानूनी संरक्षण अधिकारों को जानेंगे तो इसे लागू करवाने के लिए वे संबंधित अधिकारी पर दबाव डालेंगे, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी और वे न्याय पा सकेंगे। अपने अधिकारों की जानकारी से दलित अत्याचार की अपराधों में कमी भी आयेगी तथा दलित समाज में सम्मान पूर्वक जी सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। कानून की जानकारी और अपने अधिकारों को जानना इसलिए भी जरुरी है कि कभी-कभी स्थानीय पुलिस और निचली अदालतों को भी पूरी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा में बने कानूनों की पूर्ण जानकारी नहीं होती या कभी-कभी वे जान बूझकर उनकी अनदेखी कर देते हैं। खासतौर पर जब उहें लगता है कि दलित शिकायतकर्ता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है (दलित और कानून-हयूमन लाँ नेटवर्क, पृष्ठ -107)।

बहुजन उध्दारक, महामानव बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना कर बहुजन हित में अनेक नियम-कानून बनाये हैं| जो बहुजनों के विकास के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुध्द होने वाले अत्याचार को रोकने में ‘‘भिमास्त्र’’ ( ऐसा कानूनी अस्त्र जिसका कोई काट नहीं है ) का कम करती हैं। इसे जानने और इस्तेमाल करने की जरुरत है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में हमने अम्बेडकर चेतना परिषद् के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर कई जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार तथा एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जानकार बनाने का कार्य किया है और यह निरंतर जारी है। इसी संदर्भ में हमने महसूस किया कि प्रतिभागियों को एक छोटी पुस्तिका मिल जाय तो उन्हें हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा तथा वे इसके सहारे दूसरे को भी जानकार बना सकेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह लघु पुस्तिका का निर्माण किया गया है। रोशनी के बिना अंधकार नहीं मिटता। उसी प्रकार शिक्षा के बिना अधिकार नहीं मिलता है। बहुजन हित में किये गये संवैधानिक अधिकारों को स्वयं जाने और उनको भी बतलाये, जिन्हें दुर्योगवश शिक्षा की रोशनी नहीं मिल पाई है। प्रत्येक शिक्षित बहुजन का कर्तव्य है, एक दूसरे को जगाना, उठाना और झकझोरना

ताकि वह वर्षों की गुलाम मानसिकता से मुक्त हो सके और बहुजन एकता की शक्ति को मजबूत कर सके तथा ऐसे भारत का निर्माण कर सके, जहाँ बहुजन शक्ति की ही प्रधानता हो। बाबा साहेब का मानना था-दलितों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है।

दलित महिलओं की इस नारकीय एवं पाशविक स्थिति का सबसे बड़ा एक मात्र कारण हिन्दू धर्म में अंधविश्वास एवं प्रज्ञाहीन मान्यताओ का होना है| हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा संस्थापक और व्याख्याकार मनु माना जाता है, जिसके द्वारा प्रतिपादित मानसिक रोगों से परिपूर्ण मान्यताए आज भी हिंदुओं के लिए मिल का पत्थर हैं | इन पागलपूर्ण मान्यताओं और मनु के वंशजों ने स्त्री जाति को पशुवत और बच्चे बनाने की मशियन बनाकर छोड़ दिया हैं | इनका ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही पागलखाना बना दिया हैं |

आज विश्व में जब किसी देश में मानवाधिकारों का हनन होता है, तब भारत के मनुवादी नेता, शिक्षाशास्त्री एवं बुद्धिजीवी गला फाड़ कर चिल्लाते हैं | लेकिन जब उनकी नाक के नीचे और उनके पड़ोस में दलित महिलओं को नंगा करके घुमाया जाता हैं | खुले मैदान में बलात्कार और हत्याएं की जाती हैं | उनके स्तन काट दिए जाते है  उनके गुप्तांगो में लाठी डालकर उनकी पैशाचिक तरीके से हत्याए की जाती हैं | उनके साथ बलात्कार करके गुप्तांग को चाकू से काटकर और बाद में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती हैं | उस समय किसी भी सवर्ण के कान पर जू तक नहीं रेंगती और व चुपचाप बैठकर सबकुछ सुनते और देखते रहते हैं | और भारत का संविधान का सही तरीका से लागू नहीं किया जाता है, जो भारत का दलित समाज का समस्या का समाधान किस प्रकार होगा |और वैश्विक युग में  दलित समाज के साथ ऊपर के तीनों वर्णों द्वारा उंच-नीच और छुआछुत का भेदभाव किया जाता है | इसी भेदभाव के कारण ब्राह्मणवादियों और सामंतों द्वारा उन पर हजारों वर्षों से अन्याय और अत्याचार होता आ रहा है | कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि जातीय भेद भाव अब गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है, परन्तु सच्चाई यह है कि आजादी के 63 साल पूरे हो जाने के बावजूद अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर दमन जारी हैं | जातीय विद्वेष के कारण

बहुजनों को शासक वर्ग द्वारा घोर-घोर जोर-जुल्म ढाया जाता है | उनकी अस्मत सरेआम लूट ली जाती है और समाज तथा शासन के लोग मूकदर्शक बने रहते हैं | आक्सफाम इण्डिया के फरवरी, 2000 की रिपोर्ट के अनुसार "भारत में कहीं न कहीं प्रति घंटा दो दलितों को बेरहमी से पीटा जाता है, प्रति दिन दो दलितों की हत्या कर दी जाती है, तीन दलित महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, दो दलित घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है एवं उनके खेतों को तहस नहस कर दिया जाता है तथा अनेक दलितों को पुलिस हिरासत में इतना सताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती हैं | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सन 2004 के अंत तक देश भर में 45000 दलित उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी अर्थात इस वर्ष प्रतिदिन 125 दलितों के साथ अत्याचार के अपराध किये गये | देश में प्रतिवर्ष औसतन 25,000 जातिगत अत्याचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होते हैं | 16.33 करोड़ आबादी वाले अनुसूचित जाति में चार करोड़ बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हैं | विश्व में सबसे अधिक असुरक्षित भारत की ही नारी है | राष्ट्रीय अपराध रकार्ड ब्यूरो-2007 के अनुसार भारत में 20,737 बलात्कार की घटनाएँ हुई थी, जो विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक था | बलात्कार की शिकार महिलाओं में दलित-पिछड़े वर्ग की 80 प्रतिशत महिलायें थी, इस रिपोर्ट से अंदाज लगाया जा सकता है कि दलित अपने ही देश में गुलामों की भांति जी रहा है | प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट आफ अन्त्चेब्लिती के ऊपर नेशनल ला स्कूल बैंगलोर ने पूरे भारत में सर्वेक्षण कराया था, जिसकी रिपोर्ट की झलक 27 जुलाई 2007 को टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुई थी | इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वर्ष के अधिकांश गांव-देहातों में छुआछुत जारी हैं | कर्नाटक, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, हिरयाणा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश एवं गुजरात तथा देश के कई हिस्सों में दलितों को सार्वजानिक कुंओं से पानी भरने नहीं दिया जाता है | इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, शादी-विवाह के समय घोड़ी पर चढ़ कर बारात नहीं निकालने दिया जाता है | यज्ञ में शामिल होने के लिए दलितों का होना जरुरी है, इसके लिए उन्हें गाय का पेशाब

पिलाया जाता है, शादी-व्याह तथा अन्य समारोहों में सवर्णों के पांत में बैठकर खाना नहीं खिलाया जाता, उन्हें सबसे पीछे खिलाया जाता. सवर्ण इनके साथ भाईचारा का व्यवहार नहीं करते, छुआछूत का व्यवहार न केवल अनुसूचित जातियों के साथ होता है बल्कि अति पिछड़ा वर्ग के साथ भी होता हैं। छुअचूत आवर जातिगत विभेद के कारण अपमान और पक्षपात के डर से देश में 10% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग का सदस्य अपनी जाति छिपाकर रहते हैं. नेशनल लाँ स्कूल बैगलूरू ने ने रिपोर्ट में कहा है कि " समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के जन्म स्थान जिला हूगली में राधानगर में भी ब्राम्हणों और गैर ब्राम्हणों की शमशान भूमियाँ अलग-अलग हैं। कर्नाटक के बागनगर में एक कुएं में कुत्ता मरने के बावजूद वहां के 120 अनुसूचित जाति के सदस्यों को जाति भेदभाव के कारण उसी कुएं से पानी निकाल कर पीने को मजबूर किया गया। उत्तर-प्रदेश के प्रत्येक गाँव में एक चमार टोली नाम से उनके रहने का प्रथक स्थान हैं। दलितों के बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता हैं। कानपुर के भलसा गाँव में ग्राम प्रधान का पद अनुसूचित के लिए अरक्षित है, लेकिन कोई भी इस वर्ग का सदस्य चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है, क्योंकि वहा ठाकुरों का शासन चलता है. राजस्थान में पाली के निकट ढ़ोलनी गाँव में नए आगंतुकों से उसकी जाति पूछी जाति है, दलित होने पर उसे अपनी पाँव की जुती को सर पर रखकर ही गाव से गुजरना पड़ता हैं। वे सर पर पगड़ी भी बाँध कर गाँव से नहीं गुजरते थे." बुनियादी अधिकार आन्दोलन और सी.आर.वाई. द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार गाँधी जी की जन्म स्थली गुजरात के ग्रामीण विद्यालयों में दलित छात्रों से सवर्ण छात्रों और शिक्षकों द्वारा घोर छुआछूत किया जाता हैं। दलित छात्रों को स्कूल में पीछे बैठाया जाता तथा स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाता. उन्हें मध्याह्न भेजन सवर्ण रसोइया द्वारा नहीं परोसा जाता है. सवर्ण छात्रों को अलग बैठकर खाना खिलाया जाता है. "छुआछुत के कारण 23% प्रतिशत गाँवों में पब्लिक हेल्थ वर्कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के घर सेवा नहीं देते। 26.6 प्रतिशत दलित थाना में प्रवेश नहीं पा सकते, 37.8 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में दलित बच्चे अलग बैठाये जाते है, 23.5 प्रतिशत देहातों में डाकिया दलितों के

घर पत्र अथवा मनीआर्डर नहीं देने जाते, 48.4 प्रतिशत गाँवों में दलितों को सार्वजानिक नालों, कुओं आदि से पानी नहीं लेने दिया जाता हैं।" विजयदशमी-2009 के मौके पर गुजरात के 43 गाँवों में दलितों के लिए अलग गर्व नृत्य की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी, क्योंकि उन्हें सार्वजानिक गर्व नृत्य की अनुमति नहीं मिली। उडीसा में अभी भी कुछ ऐसे गाँव है, जहाँ दलित समाज के सदस्य गाँव के भीतर और परिधि में साइकिल, मोटर साइकिल, बेलगाडी और घोड़ागाड़ी आदि में सवार होकर नहीं चल सकते, वे गाँव की सीमा से बाहर निकाल कर ही सवारी कर सकते हैं। भुवनेश्वर से 10 कि.मी. दूर नरसिंह पुर गाँव इस जगह कीई असभ्य परम्परा का ज्वलंत उदाहरण हैं। गुजरात में अनुसूचित जाति के सदस्यों को सवर्णों के गाँवों में प्रवेश से पहले साइकिल से उतरना पड़ता है और जूते चप्पल उतार कर चलना पड़ता है. इस प्रकार के तथ्य यह प्रमाणित करते है कि भारतीय समाज में जातीय भेद, अस्पृश्यता और जातिगत अत्याचार का कितना घिनौना रूप विद्यमान है ? फिर भी भारत के कुछ लोग बड़े ही बेशर्म की तरह कहते है कि दुनियां को नीति सिद्धांत की बात, जिसके नियामक ब्रम्हाण थे, हमने ही सिखाई हैं।

वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का घोतक है. दलित होना एक चुभता हुआ अहसास है, जिसे दलित और केवल दलित ही महसूस कर सकता है. दलित की सामाजिक पीड़ा की पराकाष्ठ भला अपने ही देश वासियों और धर्म भाईयों पर अन्याय और उत्पीड़न का कहाँ ढहाने वाला तथाकथित हिन्दू विधानकार एवं सवर्ण समाज क्या जाने? भेदभाव मूलक हिन्दू समाज में अस्पृश्यता के दंश से व्यथित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था-" हिन्दू समाज भारत का एक रोग ग्रस्त प्राणी है? विश्व जहाँ सूर्य तक पहुचने की कोशिश में गतिमान है, वही भारत में छुआछूत और दलित दमन की दलदल में विकास रथ का पहिया फंस कर धसता चला गया| अभी भी अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को अनेक सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से बंचित किया जाता है. ब्रम्हां शाही और सामन्ती मानसिकता के लोगों द्वारा उन पर क्रूर जघन्य अत्याचार किया जाता तथा वे अपनी आजीविका और संपत्ति से बेदखल कर दिए जाते हैं।

**शोध विषय का महत्व :-**

इस शोध से हमारे भारत के  व NGO के उन सभी संस्था और समिति को लाभ होगा जो दलित स्त्री के विकास के लिए कार्य करते हैं, और यह शोध एक साबित प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जो इस तरह की महिलाओं जो उच्च शिक्षा में नहीं है, तुलना कर और दलित स्त्रियों की जमिनीय जरुरत को पूरा किया जा सके।

**शोध क्षेत्र-**

भारत के राज्य उत्तरप्रदेश की राजधानी "लखनऊ जिला" जो स्वयं इस क्षेत्र का चुनाव किया हूँ, कि यहाँ दलित स्त्रियों की उच्च शिक्षा में स्थिति की शोध के लिए इस शोध में दलित स्त्रियों के उच्च शिक्षा का विश्लेषण किया जाये, और आज इक्कीसवीं शताब्दी में क्या स्थिति है।क्या प्रभाव है जो महिलायें शिक्षा प्राप्त किया है उनसे किस प्रकार अलग और मजबूत हैं। इस प्रकार से आकलन करते हुये आंकड़ा इकट्ठा करते हुये शोध का अध्ययन तैयार किया जायेगा, जो इक्कीसवीं शताब्दी में इस भारत जैसे अनेकता में एकता का सोच राष्ट्रीय स्तर पर किया भूमिका ये दलित स्त्रियाँ निभा रही हैं।

**उपकल्पना :-**

1-दलित स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास संवैधानिक अधिकारों के कारण हुआ हैं।

2-सरकारी योजनाओं के कारण दलित स्त्रियों को उच्च शिक्षा में आने को प्रेरित करती हैं।

3 -जाति व्यवस्था और आर्थिक समस्या के कारण दलित स्त्रियाँ उच्च शिक्षा में आने से वंचित हो जाती हैं।

**शोध प्रविधि-** प्रस्तुत शोध कार्य गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध प्राविधि के द्वारा किया जायेगा, असहभागी अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली का प्रयोग होगा. शोध कार्य में प्रतिदर्शन के लिए लखनऊ जिले की सम्पूर्ण दलित स्त्रियों को शामिल किया गया हैं।